



प्रपत्र-02

पत्रांक-449/

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी,
कोडरमा।

सेवा में,

प्रबंधक/अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य,
नेशनल पब्लिक स्कूल, कटिया, परसाबाद
प्रखण्ड-जयनगर, जिला-कोडरमा

विषय:-

कोडरमा, दिनांक 21/03/2025
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम के अधीन एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक 629 दिनांक 25.04.2019 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालय के लिए मान्यता हेतु अवधि विस्तार प्रमाण पत्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम के अधीन एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-629 दिनांक 25.04.2019 में निहित प्रावधानों के अधीन निजी प्रारम्भिक शिक्षा समिति, कोडरमा की सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय नेशनल पब्लिक स्कूल कटिया, परसाबाद, प्रखण्ड-जयनगर, जिला-कोडरमा को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 01 से 08 तक के लिए विभागीय शर्तों के अनुसार औपबंधिक रूप से कार्यालय पत्रांक 197 दिनांक 25.02.2021 द्वारा तीन वर्षों के लिए मान्यता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई थी। पुनः प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर निर्गत की तिथि से अगले आदेश के लिए मान्यता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। आपके विद्यालय को छः माह के अन्दर सभी विभागीय शर्तों को अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा, अन्यथा मान्यता वापस ले ली जायेगी तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

01. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
02. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबंधों को एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-629 दिनांक 25.04.2019 में उल्लेखित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाय।

[Signature]

Principal

National Public School
Aff'n No.-3430338, School No.-66537
Katia Station Road, Parsabad
Jainagar, Koderma

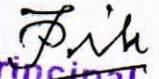
[Signature]

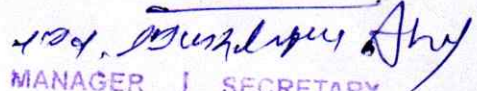
[Signature]

MANAGER / SECRETARY
NATIONAL PUBLIC SCHOOL, KATIA
Station Road, Parsabad
P.O.-PARSABAD, P.S.-JAINAGAR
DIST.-KODERMA (JHARKHAND)



03. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
04. उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय की अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
05. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्त्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
07. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :-
 - I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जायेगा।
 - III. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - IV. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन घोषित समक्ष प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता अधिनियम 2009 के लागू होने समय नहीं है, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे।
 - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
 - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
08. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
10. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जायेगी।
11. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम, या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।


Principal
National Public School
Affin No.-3430338, School No.-66537
Katia Station Road, Parsabad
Jainagar, Koderma


MANAGER | SECRETARY
NATIONAL PUBLIC SCHOOL, KATIA
Station Road, Parsabad
P.O.-PARSABAD, P.S.-JAINAGAR
DIST-KODERMA (JHARKHAND)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, कोडरमा
रौंकी-पटना रोड, समाहरणालय भवन, कोडरमा-825410

E-mail Kodermarsa@gmail.com



13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
14. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।
15. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन

29/3/25
जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी,
कोडरमा।

Fuh
Principal
National Public School
Affn No.-3430338, School No.-66537
Katia Station Road, Parsabad
Jainagar, Koderma

024.02444444
MANAGER / SECRETARY
NATIONAL PUBLIC SCHOOL, KATIA
Station Road, Parsabad
P.O.-PARSABAD, P.S.-JAINAGAR
DIST-KODERMA (JHARKHAND)